



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 1205

/बिलासपुर/दिनांक - 11-7-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest under forest Conservation Act 1980 Proposed for Small Hydro Electric Project Area 6.690 ha. Regarding.

पंजीयन कोड क्रमांक - FP/CG/HYD/25660/2017

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. /विविध/2100 दिनांक 07.07.2017

—00—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता मे. मलका रिन्चुएवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद द्वारा धरमजयगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल में संरक्षित वनभूमि 2.00 हे. एवं राजस्व वनभूमि 4.69 हे. कुल 6.690 हेक्ट. की मांग Small Hydro Electric Project हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 64000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के 526 वृक्ष खड़े हैं।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
 - (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (Small Hydro Electric Project) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित नगर पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में राजस्व वनक्षेत्र में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
7. वैकल्पिक वृक्षारोपण गैर वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी कवर्धा एवं खैरागढ़ का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस गैर वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 600244/- प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।
8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. परियोजना का Cost Benefit Analysis आवश्यक नहीं है।
10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। परन्तु आवेदित वनभूमि के 10 कि.मी. परिधि के अंतर्गत Shedule-I के वन्यप्राणी हाथी का आवागमन है। अतः वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।
13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 6.690 हे. वन भूमि की इको क्लास के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11-7-18

पृ.क्र./तक./ 1206

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ (छ.ग.)
2. आवेदनकर्ता मे. मलका रिन्चुएवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक मे. मलका रिन्युएवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड सिकन्दराबाद द्वारा धरमजयगढ़ वनमंडल में आवेदित संरक्षित वनभूमि 2.00 हे. एवं राजस्व वनभूमि 4.69 हे. कुल 6.690 हेक्ट. की मांग Small Hydro Electric Project निर्माण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

आवेदित वनभूमि के 10 किमी. परिधी के अंतर्गत Shedule-I के वन्यप्राणी हाथी का आवागमन है। अतः वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर